

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2015

G.S.R. 889(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015 made by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru further to amend the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011 and are set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE**Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015**

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Jawaharlal Nehru Port Trust hereby makes the following Regulations to amend the Jawaharlal Nehru Port Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, namely:-

Short Title and commencement

- (i) These Regulations may be called "the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015".
 - (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the official Gazette.
4. In the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, in Sub Regulation (2) (a) of Regulation 12-'SERVICES SELECTION COMMITTEE', the words "Joint Secretary (Ports) of the Ministry of Shipping-Chairman" shall be substituted by the following:—

"Joint Secretary of the Ministry of Shipping looking after the charge of PHRD- Chairman"

[F. No. PR-12016/2/2015-PE-1]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

Foot Note:- Principal Regulations published vide G.S.R. No. 43(E) dated 21.01.2011.

49. G.S.R. No. 857(E) dtd. 09.11.2000	56. G.S.R. No. 48(E) dtd. 03.02.2006
50. G.S.R. No. 365(E) dtd. 16.05.2001	57. G.S.R. No. 242(E) dtd. 24.04.2006
51. G.S.R. No. 318(E) dtd. 02.05.2002	58. G.S.R. No. 463(E) dtd. 04.08.2006
52. G.S.R. No. 846(E) dtd. 28.10.2003	59. G.S.R. No. 75(E) dtd. 05.02.2009
53. G.S.R. No. 282(E) dtd. 23.04.2004	60. G.S.R. No. 77(E) dtd. 06.02.2009
54. G.S.R. No. 406(E) dtd. 16.06.2005	61. G.S.R. No. 626(E) dtd. 28.08.2014
55. G.S.R. No. 468(E) dtd. 12.07.2005	

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 889(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियमावली 2011 को संशोधित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दी गई जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2015 को अनुमोदन देती है।

उक्त संशोधित विनियमावली इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

अनुसूची

(जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2015)

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास का न्यासी मंडल जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियमावली, 2011 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :

I. संक्षिप्त शीर्षक एवं आरंभ:—

- (i) इस विनियमावली का नाम "जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2015" होगा।
- (ii) ये केंद्र सरकार के अनुमोदन राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे, जैसा कि महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 व 132 के प्रावधानों के तहत अपेक्षित है।

2- जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता व पदोन्नति) विनियम, 2011 में विनियम 12 के उपविनियम 2 (क) में— 'सेवा चयन समिति', 'पोत परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पत्तन) — अध्यक्ष' शब्दों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"पीएचआरडी का कार्यभार देखने वाले पोत परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव —अध्यक्ष।"

[फा. सं. पी. आर-12016/2/2015-पी.ई-1]

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव

पाठ टिप्पणी : प्रधान विनियमावली भारत के राजपत्र में दि. 21 जनवरी, 2011 के सा.का.नि. 43(स्था.) द्वारा प्रकाशित की गई थी।